


न्यायालय माननीय राजस्व मंडल म.प्र. गवालियर सर्किट कोर्ट
रीवा म.प्र. [मार्गिता १०४] | मीठा | २०१७ | ६३६५

पक्षरण निगरानी (पुनरीक्षण) क. / 2017-18



- 1— राजनरेश पटेल तनय स्व. अंगिरा प्रसाद पटेल
- 2— हेमकली बेवा पत्नी स्व. अंगिरा प्रसाद पटेल
- 3— दीवानचन्द्र तनय स्व. लालमन पटेल

Rs-30/-

सभी निवासी ग्राम सुरसा कला तह. रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म.प्र.
.....निगरानीकर्ता/आवेदकगण

बनाम्

कलक्ता आफू कोटि चन्द्रवती बेवा पत्नी स्व. हरिदर्शन पटेल
ग्रामस्व मण्डल म० ४० आसिन सुरजीत कुमार तनय स्व. हरिदर्शन पटेल
(सर्किट कोर्ट) रुद्धि

- 3— शैलेन्द्र कुमार तनय स्व. हरिदर्शन पटेल

सभी निवासी ग्राम सुरसाकला तह. रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म.प्र.

.....गैरनिगरानीकर्ता/अनावेदकगण

निगरानी (पुनरीक्षण) विरुद्ध आदेश

अनुविभागीय अधिकारी तहसील रायपुर

कर्चुलियान जिला रीवा म.प्र. प्र.क.

29/अ-6/2013-14 आदेश पारित

दिनांक 25.11.2017

न्यायालय तहसील रायपुर कर्चुलियान के
द्वारा बंटवारा नामांतरण पंजी क. 19 आदेश

दिनांक 23.05.20008

निगरानी (पुनरीक्षण आवेदन) अंतर्गत धारा
50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 ई.

मान्यवर,

मामले का विवरण जिसकी जानकारी माननीय न्यायालय को संक्षिप्त में दी जाती है।

मामले का विवरण न्यायालय तहसीलदार का निष्कर्ष

पृष्ठभूमि -

मामला बंटवारा नामांतरण का है जो कि भूमियाँ ग्राम सुरसा कला
पटवारी हल्का क. 14 ज.न. 609 तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा में स्थित है।

.....2

शाब्दिक अर्थात्

220

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक II / अगस्त 2017 / 6365 जिला रीवा

राजस्व पटेल विरुद्ध अप्रृच्छा

1	2	3
17-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री. <u>झादियर ख़िफारी</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील <u>रायपुर कर्चुलियान</u> के प्रकरण क्रमांक <u>29/अ-6/13:14</u> में पारित आदेश दिनांक <u>25-11-2017</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर <u>रीवा</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>16-4-19</u> को कलेक्टर <u>रीवा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	



सदस्य